न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 231 / 2023(जी.सी.एम.एस. 2023 / 298

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. उदाराम उर्फ छोटू राम पुत्र धर्मपाल जाति माली निवासी चक 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजूः– 14.07.2023

उपस्थितः 1.श्री इन्द्राज कुमार सेजू अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

––निर्णय–– दिनांक : 04.10.2023

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का 6 वी धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 72 / 67 के मुरब्बा नम्बर 4, 5, 103 / 38 की कुल 6.109 हैक्टेयर भूमि में से वादी के नाम 1.018 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त जमाबन्दी में वादी का नाम उदाराम पुत्र धर्मपाल दर्ज है। वादी के पहचान सम्बधी दस्तावेजो में नाम उधो उर्फ छोटू राम पुत्र धर्मपाल अंकित है। वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार / केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजो के आधार पर नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। वर्तमान में अनुदान / ऋण संबंधित आवेदन पत्र ऑनलाईन हो चुके है, जिनका दस्तावेजो के अनुरूप मिलान किया जाता है, उसके पश्चात् ही अनुदान / ऋण स्वीकृत करना अनिवार्य कर दिया है। इस कारण विभिन्न समस्याओ से झूजना पड़ रहा है। इसलिए भी उक्त संशोधन करवाने हेतु वादी माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवा रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का 6 वी धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 72 / 67 में अंकित नाम उदाराम पुत्र धर्मपाल के स्थान पर उदाराम उर्फ छोटू राम दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 4456 दिनांक 16.8.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 10 एस की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 72 / 67 में प्रार्थी का नाम उदाराम पुत्र धर्मपाल जाति माली दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। पटवारी हलका द्वारा मौके पर पूछताछ की गई व फर्द मौका बनाया गया। उपस्थितजनों ने बताया कि उदाराम, छोटूराम व उधो तीनो नाम एक ही व्यक्ति के है।

अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

2. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का 6 वी धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 72/67 की प्रति, भूमि प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, मूलनिवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति, माननीय न्यायालय जिला क्लैक्टर एंव प्राधिकृत चीफ सेटलमेंट कमिश्नर श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 30.05.1990 की छायाप्रति, सरपंच ग्राम पंचायत 6 वीं धनूर के तस्दीक प्रमाण पत्र की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का 6 वी धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 72/67 में क्रम संख्या 1 पर अंकित नाम उदाराम पुत्र धर्मपाल के स्थान पर उदाराम उर्फ छोटूराम दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात में नाम उधो उर्फ छोटूराम दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 10 एस की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 72/67 में प्रार्थी का नाम उदाराम पुत्र धर्मपाल जाति माली दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। पटवारी हलका द्वारा मौके पर पूछताछ की गई व फर्द मौका बनाया गया। उपस्थितजनों ने बताया कि उदाराम, छोटूराम व उधो तीनो नाम एक ही व्यक्ति के है। सरपंच ग्राम पंचायत 6 वीं धनूर के तस्दीक प्रमाण पत्र के मुताबिक उदाराम व छोटू राम एक ही व्यक्ति के दो नाम है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत 6 वीं धूनर के तस्दीक प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

—:आदेश:—

3. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136—राजस्व भू अधिनियम 1956 भली—भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075—78 के खाता संख्या 72/67 में क्रम संख्या 1 पर अंकित नाम उदाराम पुत्र धर्मपाल के स्थान पर उदाराम उर्फ छोटूराम पुत्र धर्मपाल दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 04.10.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(**Civil Procedure Code, Appendix "D-1"**)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

उदाराम उर्फ छोटूराम बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत **88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट** मुकदमा नम्बर **231/2023**

निर्णय दिनांक :- 04.10.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री इन्द्राज कुमार सेजू** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, 136 भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075-78 के खाता संख्या 72/67 में क्रम संख्या 1 पर अंकित नाम उदाराम पुत्र धर्मपाल के स्थान पर उदाराम उर्फ छोटूराम पुत्र धर्मपाल दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 04.10.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{**सुभाष चन्द्र** (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**00**	**00**

{**सुभाष चन्द्र** (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर
दिनांक: 04.10.2023

क्रमांकः रीडर/ 2023/501
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{**सुभाष चन्द्र** (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते